



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1076]
No. 1076]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2007/भाद्र 15, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2007/BHADRA 15, 1929

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2007

New Delhi, the 6th September, 2007

का.आ. 1497(अ).—बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3(2)(ब) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा सुश्री निघात शफी, 16-ए, गोर्जी बाग, श्रीनगर-190001 को बाल मनोविज्ञान अथवा समाज विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

सुश्री निघात शफी का कार्यकाल 6 सितम्बर, 2007 से 3 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।

[फा. सं. 3-5/2006-सी डब्ल्यू]

मन्जुला कृष्णन, आर्थिक सलाहकार

S.O. 1497(E).—In pursuance of Section 3(2)(b) of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby nominates Ms. Nighat Shafi, 16-A, Gogji Bagh, Srinagar-190001 as a Member of the National Commission for Protection of Child Rights in the field of child psychology or sociology.

Ms. Nighat Shafi shall hold office for a period of three years from 6th September, 2007, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 3-5/2006-CW]

MANJULA KRISHNAN, Economic Adviser